

निदेशक(ईएसआई)/मोबाईल सर्जिकल यूनिट/आरआरसी  
समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज  
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह  
समस्त संयुक्त निदेशक जोन  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय:- राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित नर्स-2 के परीक्षा काल पूर्ण होने के सम्बन्ध में सूचना भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से वर्ष 2008 में आपके अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित नर्स-2 का दो वर्ष के परीक्षा काल में पदस्थापन किया गया था। जिनमें से अधिकांश प्रोबेशनर ट्रेनीज का परीक्षाकाल पूर्ण हो गया है अथवा पूर्ण होने जा रहा है। 2 वर्ष का प्रोबेशनकाल संतोषप्रद पूर्ण करने के उपरान्त इन कर्मियों को नियमानुसार नर्स-2 के पद की न्यूनतम वेतनश्रृंखला दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जाने है।

इस सम्बन्ध में यह विशेष उल्लेखनीय है कि यदि परीक्षाकाल में कोई प्रोबेशनर ट्रेनी (नियमानुसार देय अवकाश के अतिरिक्त) अनुपस्थित रहा हो, तो जितने दिवस अनुपस्थित रहा है उतने दिवस का परीक्षाकाल में वृद्धि कर दी जावे। यदि किसी प्रोबेशनर ट्रेनी का परीक्षाकाल संतोषजनक नहीं रहा हो, तो उसके सम्बन्ध में भी स्पष्ट टिप्पणी अंकित कर कि किन कारणों से असंतोषजनक रहा है पूर्ण विवरण सहित निम्न प्रपत्र में चाही गई सूचना पत्र प्राप्त के 7 दिवस में एक साफ्ट कॉपी (फोन्ट DevLys 010 में) मय हार्ड कापी प्रमाणित कर भिजवाने का श्रम करें ताकि निदेशालय से उन्हें न्यूनतम वेतन श्रृंखला दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा सके।

इसे अति-आवश्यक समझे।

प्रपत्र

क्र०सं	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	निदेशालय के आदेश क्रमांक व दिनांक जिसके द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है।	कार्य ग्रहण तिथि	प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि	प्रोबेशन अवधि में अनुपस्थित/अवकाश अवधि यदि हो तो)	कार्य-व्यवहार की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/(RPSL)/10/800

दिनांक 20.04.10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजि सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राज० जयपुर।
2. निजि सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री, राज० जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज० जयपुर।
4. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3) विभाग राज० जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर डाउन लोड करें।

अतिरिक्त, निदेशक (प्रशासन),